5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

91

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध आवेदन क्र० — विविध — 9059 — II-16

प्रकरण क्रमांक ~~निगरानी / 654 — दो / 2016~~

परमेश्वरी कुशवाहा तनय स्व. सरमन कुशवाहा निवासी मामोन दरवाजा टीकमगढ़ (म.प्र.)

श्री गोविन्द सिंह सिसोदिया अभि० द्वारा आज दि. 26-4-16 को प्रस्तुत

28 ... 16

.........आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

भागीरथ तिवारी तनय स्व. प्रभुदयाल तिवारी निवासी ग्राम—गहरवार थाना ईशानगर जिला छतरपुर, म.प्र. हाल निवासी— जानकी बाग / अम्बेडकर तिराहा टीकमगढ़ म.प्र. व अन्य

.........अनावेदकगण

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959</u>

महोदय,

आवेदक की ओर से सादर विनय निम्न प्रकार है :—

1. यहकि, उपरोक्त उनमान निगरानी में दिनांक 09.03.2016 का आदेश पारित किया गया है।
2. यहकि, उक्त आदेश दिनांक 09.03.2016 के पैरा 1 में अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 708 / अ—19 / 92—93 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई होना लेख किया गया है किन्तु उक्त आदेश के पैरा क्रमांक 3 में आदेश दिनांक 18.01.2016 के स्थान पर दिनांक 23.02.2016 कम्प्यूटर की टंकड़ त्रुटि के कारण गलत लेख हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः विनय है कि उक्त आदेश दिनांक 09.03.2016 के पैरा नम्बर 3 की दूसरी लाईन में आदेश दिनांक 23.02.2016 के स्थान पर दिनांक 18.01.2016 सुधार की जाने की कृपा की जावें। इन्टरनेट से निकाली गईं उक्त आदेश की नकल संलग्न है।

दिनांकः—26.04.2016 **द्वारा अभिभाषक** **आवेदक**

26-4-016

गोविन्द सिंह सिसोदिया (एड.) परमेश्वरी कुशवाहा तनय स्व. सरमन कुशवाहा निवासी— मामोन दरवाजा टीकमगढ़(म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक ~~निगरानी 1321~~ विविध 1059/-दो/2016 जिला –टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–16	आवेदक के अधिवक्ता श्री जी0 एस0 सिसौदिया उपस्थित होकर धारा –32 का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्र0क0 निगरानी 654–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 9.3.16 में पैरा–1 में अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 708/अ–19/92–93 में पारित आदेश दिनांक 18.1.16 के स्थान पर 23.2.16 टंकण हो गया है । अतः दिनांक 23.2.16 के स्थान पर 18.1.16 पढा जावे। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है । तथा यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग माना जावेगी। सदस्य	